1

आपराधिक प्रक0क्र0 471/10

<u>संस्थित दिनाँक-05.08.2010</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–एण्डोरी जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- बलवंत सिंह पुत्र श्रीराम यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम लौहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड
- सुंदरपाल सिंह पुत्र अभिलाख सिंह कुशवाह उम्र 62 साल निवासी ग्राम बारांकला थाना देहात जिला भिण्ड
 इन्द्रजीत सिंह पुत्र जगमन सिंह उम्र तोमर उम्र 49 साल

निवासी नागौर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

4. अरविंद सिंह पुत्र भोल सिंह भदौरिया उम्र 37 साल निवासी ट्केडा थाना मालनपुर जिला भिण्ड

 नरेन्द्र सिंह पुत्र महाराज सिंह कुशवाह उम्र 53 साल निवासी लहारचुंगी सिर्कट हाउस रोड़ भिण्ड

....अभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 16.11.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.09.2009 को 11:35 बजे या उसके लगभग ग्राम नागौर मतदान केन्द्र क0 16 के पास यह जानते हुए कि जिला कलेक्टर के आदेश से आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर अपने आधिपत्य के वाहन स्कार्पियो एम0पी0—30 बी0बी0 132 को मतदान केन्द्र के पास खडा कर सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा की तथा आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर आधिपत्य के वाहन कमांक एम0पी0 30 बी0 बी0 132 को ग्राम नागौर के मतदान केन्द्र क0 16 के पास खडा किया साथ ही मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि अभियुक्त क्रमांक 04 अरविंद को द0प्र0सं0 की धारा 299 के अधीन फरार घोषित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रथक की गई है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.09.2009 को गोहद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था। थाना प्रभारी एण्डोरी श्री हेमंत शर्मा मतदान केन्द्रों को चैक कर रहे थे। उन्हें मुखबिर से दौरान गश्त सूचना मिली कि पूर्व विधायक नरेन्द्रसिंह कुशवाह स्कार्पियो गाडी में अपने कुछ साथियों को लेकर नागौर गांव में मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त

सूचना पर वे मय फोर्स ग्राम नागौर पहुंचे जहां मतदान केन्द्र के पास वाहन स्कार्पियों क0 एम0पी0 30 बी0सी0—0132 खडी मिली। उक्त वाहन में लोग बैठे थे जिनसे नाम पूछने पर चालक ने अपना नाम बलवंतिसंह तथा अन्य बैठे व्यक्तियों ने नाम सुंदरपाल, इन्द्रजीत तोमर तथा अरविंद भदौरिया होना बताया। गनमैन नागेन्द्रसिंह तोमर खडा था जिसने बताया कि उक्त गाडी नरेन्द्रसिंह कुशवाह पूर्व विधायक भिण्ड की है और वह एक घण्टा पहले उसे वहां छोड़कर चले गए हैं। थाना प्रभारी ने वाहन चालक तथा बैठे व्यक्तियों से वाहन उपयोग के संबंध में कलेक्टर की अनुमित चाही तो उन्होंने कलेक्टर की अनुमित न होना बताई, साथ ही मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने का कारण नहीं बता पाया। इस कारण से उक्त वाहन को जब्तकर बलवंत, सुंदरपाल, इन्द्रजीत व अरविंदिसंह को गिर0 कर थाने पर लाकर अप0क0 61/09 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण ने दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त नरेन्द्रसिंह एवं सुंदरपाल द्वारा राजनैतिक प्रतिद्वंदता के कारण झूंटा फंसाया जाना बताया तथा शेष द्वारा निर्दोष होना एवं झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दि० 10.09.2009 को 11:35 बजे या उसके लगभग ग्राम नागौर मतदान केन्द्र क्0 16 के पास यह जानते हुए कि जिला कलेक्टर के आदेश से आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर अपने आधिपत्य के वाहन स्कार्पियो एम0पी0—30 बी0बी0 132 को मतदान केन्द्र के पास खडा कर सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा की ?
 - 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम0पी0 30 बी0 बी0 132 को ग्राम नागौर के मतदान केन्द्र क्0 16 के पास खड़ा किया साथ ही मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विहारीलाल अ०सा० 1, नागेन्द्रसिंह अ०सा० 2, दिलीपसिंह गुर्जर अ०सा० 3, डी०एल० माहौर अ०सा० 4 हेमंत शर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया, जबिक अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- हेमंत शर्मा अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 10.09.09 को थाना एण्डोरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को गोहद के विधानसभा उप चुनाव में अपने क्षेत्र के थाना एण्डोरी अंतर्गत मतदान केन्द्रों को चैक कर रहे थे तब प्र0आर0 राधाकृष्ण ने फोनकर सूचना दी कि उन्हें सूचना मिली है कि पूर्व विधायक नरेन्द्रसिंह कुशवाह नागौर गांव में अपने साथियों के साथ मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक के लिए वे फोर्स के साथ ग्राम नागौर के मतदान केन्द्र क0 16 पर पहुंचे जहां स्कार्पियो वाहन खडा मिला, जिसमें मौके पर चार लोग पाए गए और नरेन्द्रसिंह वहां से भाग गए थे। मौके पर मौजूद वाहन चालक ने अपना नाम बलवंतिसंह बताया, शेष तीन लोगों ने अपने नाम सुंदरपाल, इन्द्रजीत तथा अरविंद बताए थे। वहां गन मैन नागेन्द्रसिंह तोमर खडा था जिसने बताया कि गाडी नरेन्द्रसिंह कुशवाह पूर्व विधायक की है जो एक घण्टा पहले उन्हें छोडकर चले गए हैं। साक्षी द्वारा वाहन उपयोग की जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति चाही तो न होना बताई और यह भी नहीं बता पाए कि वे नागौर मतदान केन्द्र पर क्यों आए हैं। तब उन्होंने मौके पर उक्त स्कार्पियो गाडी जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाया था जिस पर सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण को गिरफ़्तार कर गिरफ़्तारी पत्रक प्रपी0 1 लगायत 4 बनाए थे जिनके सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् घटनास्थल से थाना एण्डोरी आकर अपराध प्र0पी0 6 की प्राथमिकी के रूप में पंजीबद्ध करने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। विवेचना के क्रम में आरक्षक नागेन्द्रसिंह का कथन लिया जाना बताते हैं।
- 8. इस प्रकार से जब्तीकर्ता हेमंत शर्मा के कथन के अनुसार उनके द्वारा सूचना प्र0आर0 राधाकृष्ण द्वारा प्राप्त की गयी थी। प्रकरण में प्र0आर0 राधाकृष्ण को न तो अभियोजन का साक्षी बनाया गया है और न हीं उसका कोई कथन लिया गया। हेमंत शर्मा अ0सा0 5 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 2 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि किस मोबाईल नंबर से राधाकृष्ण ने उन्हें सूचना दी थी। साक्षी हेमंत शर्मा अ0सा0 5 द्वारा अभिकथित स्कार्पियों के पास आरक्षक नागेन्द्रसिंह तोमर जिसे अभियुक्त क0 5 नरेन्द्रसिंह का अंगरक्षक बताया गया है, उक्त नागेन्द्रसिंह द्वारा यह बताए जाने का कथन किया है कि अभियुक्त नरेन्द्रसिंह एक घण्टे पहले उक्त जब्ती स्थल से चले गए हैं। ऐसी दशा में नागेन्द्रसिंह अ0सा0 2 का कथन महत्वपूर्ण हो जाता है।
- 9. नागेन्द्रसिंह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 10.09.2009 को उनकी डयूटी पूर्व विधायक नरेन्द्रसिंह अर्थात अभियुक्त क0 5 के सुरक्षागार्ड के रूप में थी और उस दिन वे उनके साथ गाडी में बैठकर गए थे। अभियुक्त नरेन्द्रसिंह द्वारा उनसे कहा गया था कि निमंत्रण में चलना हैं और वहां पहुंचकर गाडी के पास खडा कर दिया, उस समय चुनाव का समय था किन्तु वह नहीं बता सकता कि अभियुक्त नरेन्द्रसिंह गांव में कहां गए थे। उसके सामने किसी के

द्वारा मतदान प्रभावित न किए जाने का कथन किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें इस तथ्य से इंकार किया कि दिनांक 10.09.09 को वह अभियुक्तगण के साथ नागौर गया था, इस तथ्य से भी इंकार किया कि गाड़ी स्कार्पियो एम0पी0 30 बी0सी0—0132 के साथ खड़ा था। यह कथन अवश्य किया कि नरेन्द्रसिंह पुलिस की खबर आने से चले गए इतने में हेमंत शर्मा दरोगा अपने फोर्स के साथ आ गए थे, शेष तथ्यों से साक्षी द्वारा इंकार किया गया। साक्षी द्वारा पुलिस कथन प्र0पी0 7 में संपूर्ण घटना दिनांक 10.09.2009 के तथ्यों के संबंध में इंकार किया है। साक्षी द्वारा प्रतिपसिक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया कि अभियुक्त नरेन्द्रसिंह एवं सुरेन्द्रपाल पोलिंगबूथ नहीं गए थें, यह भी स्वीकार किया कि वे दोनों तेरहवीं खाना खाने गए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में कथन करता है कि उसे नहीं मालूम कि विधायक की गाड़ी कौन चला रहा था। वे अभियुक्त बलवंत को नहीं जानते। इस प्रकार से नागेन्द्र अ0सा0 2 के अभिसाक्ष्य में अभियुक्त नरेन्द्रसिंह की अभिकथित मतदान केन्द्र के पास उपस्थिति के संबंध में हेमंत शर्मा अ0सा0 5 के कथनों की कोई पुष्टि नहीं की गयी है।

अभियोजन की ओर से साक्षी विहारीलाल अ०सा० 1 परीक्षित कराए गए जो बताते हैं कि 10. दिनांक 10.09.2009 को दिन के करीब 11:30 बजे अपनी मोबाईल लेकर नागौर तरफ आया तो थाना प्रभारी मय फोर्स के आ गए थे और उनको साथ में ले लिया था। तत्पश्चात् मतदान केन्द्र पर पहुंचे जहां एक गाडी खडी थी। मतदान केन्द्र का नाम नागौर का स्कूल था। गाडी में 4–5 आदमी थे किन्तु कौन कौन थे और उनके क्या क्या नाम थे वह नहीं बता सकता। दरोगाजी द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गाडी किसकी थी वह नहीं बता सकता। साक्षी अभियुक्त बलवंत, सुंदर, इन्द्रजीत और अरविंद को उसके समक्ष गिरफ्तार किए जाने व गिर0 पंचनमाा प्र0पी0 1 लगायत 4 बनाए जाने का कथन करते हैं। पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह साक्षी स्वीकार करते हैं कि मतदान केन्द्र पर 4-5 लोग के साथ नरेन्द्रसिह स्कार्पियो से आए थे जहां मतदान को प्रभावित कर रहे थे। यही साक्षी प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि वह अभियुक्त नरेन्द्रसिंह को चेहरे से जानता है किन्तु सुंदरपाल को न तो घटना दिनांक को जानता था और न साक्ष्य दिनांक को पहचानता है। यह भी स्वीकार करता है कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर नरेन्द्रसिंह व सुंदरपाल दिखाई नहीं दिए, कण्डिका 4 में यह तथ्य स्वीकार करता है कि नरेन्द्रसिंह को घटनास्थल पर उसने नहीं देखा, स्वतः कथन करता है कि लोगों ने कहा था कि नरेन्द्रसिंह कुशवाह थे, किन्तु उसने नहीं देखा। कण्डिका 5 में यह बताने में अस्मर्थ है कि किन किन लोगों ने उसे बताया कि नरेन्द्रसिंह घटनास्थल पर थे। कण्डिका 6 में स्वीकार करता है कि वह बलवंतिसंह को नहीं जानता, गाडी में कौन कौन लोग बैठे थे वह उनको नहीं पहचानता। अभिकथित स्कार्पियो गाडी के संबंध में किण्डिका 7 की अंतिम पंक्तियों में कथन करता है कि उसे नहीं पता कि जिस गाडी की जब्ती बताई जा रही है वह गाडी नरेन्द्रसिंह कुशवाह की थी। इस प्रकार से जहां एक ओर बिहारीलाल अ०सा० 1 अभियुक्तगण बलवंत, सुंदरपाल, इन्द्रजीत व अरविंद की गिरफ्तारी के संबंध में कथन करता है किन्तु उन्हें पहचानता तक नहीं हैं और साक्ष्य दिनांक को भी पहचानने में अस्मर्थ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की अपुष्ट व परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना उचित नहीं हैं।

- 11. दिलीपसिंह अ०सा० 3 दिनांक 10.09.09 को थाना एण्डोरी में मय वाहन के डयूटी करना बताते हैं। यह कथन करते हैं कि वे थाना प्रभारी हेमंत शर्मा के साथ मोबाईल में थे और वे ग्राम नागौर पहुंचे जहां विहारीलाल भी पहुंचे थे। वहां एक गाडी स्कार्पियो नंबर एम०पी०—30 बी०सी०—0132 खडी थी। पौलिंगबूथ पर खडे होने की परमीशन पूछी तो गाडी में बैठे बलवंत, इन्द्रजीत, सुंदरपाल और अरविंद ने संतुष्टिप्रद जबाव नहीं दिया। पास में खडे व्यक्ति ने नागेन्द्रसिंह तोमर नाम बताया। उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक प्र०पी० 1 लगायत 4 बनाए जाने जिन पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जब्ती पत्रक प्र०पी० 5 पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि वे इन्द्रजीत सिंह को नहीं पहचानते। यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने थाना प्रभारी के कहने पर प्रपी० 3 के गिर० पत्रक पर हस्ताक्षर किए थे, कण्डिका 4 में यह स्वीकार करते है कि प्र०पी० 1, 2 व 4 पर वरिष्ठ अधिकारी हेमंत शर्मा के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। वे सुंदरपाल को भी नहीं जानते। इस प्रकार से इस साक्षी के द्वारा भी अभियुक्तगण क0 1 लगायत 4 के संबंध में किया गया कथन परस्पर विरोधाभासी एवं थाना प्रभारी के कहने पर बिना पहचान के हस्ताक्षरों को किए जाने से संदिग्ध हो जाता है।
- 12. प्रकरण में हेमंत शर्मा अ0सा0 5 जो ग्राम नागौर में मतदान केन्द्र क0 16 के पास स्कार्पियों वाहन खड़ा कर चार व्यक्तियों अभियुक्त क0 1 लगायत 4 के बैठे होने एवं अभियुक्त क0 5 के एक घण्टा पहले उक्त स्थान को छोड़कर चले जाने के संबंध में कथन करते हैं। वे उक्त अभियुक्तगण द्वारा मतदान प्रभावित करने का प्रयास किए जाने के संबंध में कथन करते हैं किन्तु संपूर्ण अभिसाक्ष्य में साक्षी द्वारा नहीं बताया गया कि किस प्रकार से अभियुक्तगण मतदान को प्रभावित कर रहे थे। जहां एक ओर मतदान केन्द्र के बाहर कथित स्कार्पियों गाड़ी को खड़ा करने के संबंध में कथन किया गया है उसके बारे में साक्षी कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि वे नहीं बता सकते कि नागौर का मतदान केन्द्र कहां पर था। यहां तक कि यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि गांव के अंदर था या बाहर था। साक्षी के कथन के अनुसार मतदान केन्द्र पर चुनाव के लिए मतदान चल रहा था, किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि जब वे मतदान केन्द्र पर पहुंचे तो चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों ने उससे कोई शिकायत नहीं की। कण्डिका 4 में पुनः कथन करते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे यह नहीं बताया गया कि अभियुक्त सुंदरपाल ने

कुछ उपद्रव किया हो, स्वतः कथन करते हैं कि मतदान केन्द्र के बाहर बाहरी व्यक्ति का होना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तुरंत पश्चात् स्वीकार करते हैं कि चुनाव के दौरान थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक गांव की सर्चिंग की जाती है कि कोई बाहर का आदमी तो नहीं रूका और हर गांव में चौकीदार थे। यह स्वीकार करता है कि किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति ने गांव में बाहरी व्यक्ति के रूकने की बात नहीं बताई थी। इसी कण्डिका में कथन करते हैं कि मुख्य मार्ग एवं अन्य मार्ग सील करके रखे गए थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह बताने में अस्मर्थ है कि ग्राम नागौर में कितने मतदान केन्द्र थे और उसने कितने मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया था। इस प्रकार से इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में लोप विद्यमान हैं।

- 13. हेमंत शर्मा अ०सा० 5 का कथन अभियुक्त इन्द्रजीत के संबंध में महत्वपूर्ण हैं, जो कण्डिका 6 से प्रारंभ होता है। साक्षी कण्डिका 6 में स्वीकार करते हैं कि जिस समय मतदान केन्द्र पर पहुंचे उस समय मतदान चालू था और मतदाताओं की लाईन लगी थी। यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त इन्द्रजीत ग्राम नागौर का रहने वाला है। यह भी स्वीकार करता है कि अभियुक्त इन्द्रजीत को ग्राम नागौर में अपने मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में अभियुक्त इन्द्रजीत की मतदान केन्द्र पर उपस्थिति किस प्रकार से मतदान को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही थी, इस संबंध में अभिसाक्षी की साक्ष्य में कोई कथन न होने से संदेह उत्पन्न होता है।
- प्रकरण में अभिकथित स्कार्पियो क0 एम0पी0-30 बी0सी0-0132 के अभियुक्त क0 5 14. नरेन्द्रसिंह द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में हेमंत शर्मा अ०सा० 5 द्वारा कथन किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अभियुक्त क0 5 द्वारा कथित स्कार्पियो के उपयोग करने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करता हो। उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार कमलेश खॉन पुत्र टिल्लू खॉन निवासी गोरमी परगना मेहगांव जिला भिण्डा दर्शाया गया है, जिसे साक्ष्य सूची में भी शामिल किया गया किन्तु कई बार प्रयास करने के बाद भी उक्त साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, न हीं उक्त साक्षी का कोई नवीन पता प्रस्तुत किया जा सका है। प्रकरण में विहारीलाल अ०सा० 1, नागेन्द्रसिंह अ०सा० 2, दिलीपसिंह अ०सा० 3 सभी चक्षुदर्शी साक्षी पुलिस विभाग के व्यक्ति हैं जो कि महत्वपूर्ण विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। जो वाहन स्कार्पियो मतदान केन्द्र के पास खडी होना बताई गयी है वह मतदान केन्द्र से कितनी प्रतिबंधित सीमा के अंतर्गत खडी थी, इस संबंध में किसी भी साक्षी द्वारा कथन नहीं किया गया है, न हीं कथित मतदान केन्द्र का कोई नक्शामौका बनाया गया और न हीं थाना प्रभारी द्वारा कोई देहाती नालिसी बनाकर कथित स्कार्पियो वाहन की मतदान केन्द्र से दूरी का उल्लेख किया जिससे उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में पाए जाने की पुष्टि होती हो। साक्षी बिहारीलाल अ०सा० 1 का इस संबंध में कथन सुसंगत है जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि अभियुक्तगण जो

गिरफ्तार होना बताए गए वे मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं थे। कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि वे नहीं बता सकते कि जिस वाहन का जब्त होना बता रहे हैं वह मतदान केन्द्र से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खडा था। नागेन्द्रसिंह अ०सा० 2 जो कि जब्ती स्थल पर मौजूद साक्षी बताए गए हैं वे कण्डिका 5 में स्वीकार करते हैं कि मतदान के समय नरेन्द्रसिंह कुशवाह गोहद विधानसभा के किसी गांव या पोलिंग पर नहीं गए।

- प्रकरण में जेoएलo माहीर अoसाo 4 अनुसंधानकर्ता हैं, जो दिनांक 15.09.09 को उक्त 15. प्रकरण की केस डायरी अनुसंधान हेत् प्राप्त होना बताते हैं। वे अपने अभिसाक्ष्य में कमलेश खॉन, प्र0आर0 विहारीलाल तथा आरक्षक चालक दिलीपसिंह गुर्जर के कथन बताए अनुसार लेख करने का कथन करते हैं। वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह बताते हैं कि घटना मतदान केन्द्र की होना बताई है, किन्तु उन्होंने मतदान केन्द्र में लगे कर्मचारियों एवं मतदान केन्द्र के आसपास के लोगों से कोई पूछताछ नहीं की और न हीं उनके कथन लेख किए। समस्त साक्षीगण पुलिस साक्षी हैं किसी स्वतंत्र व्यक्ति को घटना का साक्षी नहीं बनाया गया, यहां तक कि कथित मतदान के पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को साक्षी नही बनाया गया है। हेमंत शर्मा अ०सा० 5 ने कण्डिका 2 में कथन किया है कि पीटासीन अधिकारी या अन्य कर्मचारियों ने उनसे कोई शिकायत नहीं की. स्वतः कहाकि उसका कोई औचित्य नहीं था पर गांव के लोगों और उपस्थित बल द्वारा इसकी शिकायत करना बताया है किन्तु किस किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गयी, इस संबंध में कथन करने में अस्मर्थ हैं। निश्चित रूप से जब मतदान का कार्य किया जाता है तो मतदान के समय मतदाता, मतदान करा रहे कर्मचारी आदि उपलब्ध रहते हैं, किन्तु उनमें से किसी को साक्षी न बनाया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक है। हेमंत शर्मा अ०सा० 5 द्वारा की गयी कार्यवाही किसी सुसंगत रोजनामचा सान्हा या देहाती नालिसी से समर्थित नहीं हैं ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।
- 16. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई लोक सेवक का प्रख्यापित आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर यह दर्शित होता हो कि मतदान केन्द्र से कितनी दूरी तक किसी वाहन का खड़ा किया जाना अथवा लोगों का एकत्र होना आदेश की जानबूझकर अवहेलना की श्रेणी में आएगा वरन् अभियोजन पक्ष यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा कि कथित स्कर्णियो वाहन मतदान केन्द्र से कितनी दूरी पर खड़ा किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित वाहन में अभियुक्त क0 1 लगायत 4 के द्वारा किस कार्य के माध्यम से मतदान को प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्तगण से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जिससे मतदान प्रभावित होने या मतदाता प्रलोभित होने की संभावना हो, जब्त नहीं की गयी है। इस प्रकार से अभियोजन के मामले में गंभीर एवं महत्वपूर्ण विरोधाभास व संदेह विद्यमान हैं। दाण्डिक

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। संदेह की दशा में उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

- 17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 10.09.2009 को 11:35 बजे या उसके लगभग ग्राम नागौर मतदान केन्द्र क0 16 के पास यह जानते हुए कि जिला कलेक्टर के आदेश से आचार संहिता लागू है और आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर अपने आधिपत्य के वाहन स्कार्पियो एम0पी0—30 बी0बी0 132 को मतदान केन्द्र के पास खडा कर सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा की तथा आचार संहिता लागू होते हुए उसका उल्लंघन कर आधिपत्य के वाहन कमांक एम0पी0 30 बी0 बी0 132 को ग्राम नागौर के मतदान केन्द्र क0 16 के पास खडा किया साथ ही मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. अभियुक्तगण के जमानत भारहीन की जाती हैं, उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 19. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन सुपुर्दगी पर है। संपत्ति के संबंध में निष्कर्ष फरार अभियुक्त के निर्णय के समय दिया जावेगा।
- 20. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश